कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

संख्या: 3754 अधि./दो-215/2018 दिनांक : 25 अगस्त, 2018

विज्ञप्ति

परिवहन विभाग में विभिन्न विभागीय मैनुअलों, मोटरयान अधिनियम व नियमावलियों में संशोधन, अन्य राज्यों के साथ परिवहन करार, सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य निष्पादित करने के लिए 01 वर्ष की अवधि के लिए रुपये 30,000.00 (रुपये तीस हजार मात्र) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर विहित शर्तों के अधीन योग्य व्यक्तियों से परामर्श सेवा के लिए संविदा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

योग्यताएं :

1. ऐसा व्यक्ति जिसने कुल 20 वर्ष की राजकीय सेवा की हो और जिसे परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो और उसे विभाग की कार्यप्रणाली एवं उसके नियमों का व्यवहारिक ज्ञान हो।
2. जो विधि स्नातक हो और जो नियमों व अधिनियमों की व्याख्या करने में सक्षम हो।
3. चूंकि अधिकांश अधिनियम व नियम अंग्रेजी भाषा में हैं या बनाए जाते हैं, इसलिए उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो और उसने इस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली हो।
4. ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जो सम्पूर्ण कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करने में सक्षम हो।
5. देहरादून में निवास करने वाले व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जाएगी।

शर्तें :

(1) संविदा पर नियुक्त परामर्शी को एक वर्ष की अवधि के लिए 30,000.00 रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक की दर पर नियुक्त किया जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

(2) परामर्शी की नियुक्ति यदि आवश्यक हुआ, तो साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी।

(3) आदेश निर्गत होने पर तैनाती से पूर्व चयनित परामर्शी को नियमानुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(4) परामर्शी को प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालय समय पर परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

(5) संबंधित परामर्शी को आवागमन हेतु कोई वाहन अथाव किराया आदि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(6) आवेदन समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध हो जाने चाहिएं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) इच्छुक आवेदक द्वारा टी.ओर.आर. किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर अवलोकित किया जा सकता है।

सू.एवं लो.सं.वि. पत्रांक 5003 दिनांक 28.08.2018

(शैलेश बगोली) परिवहन आयुक्त